डीजी–परिपत्र संख्या–47/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः दिसम्बर 29,2020

विषयः– प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध नियन्त्रण, विवेचना एवं जनशिकायतों का निस्तारण तथा पुलिस की कार्यप्रणाली/छवि में सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

लोक कल्याणकारी व्यवस्था में पुलिस का कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होता है, जहॉ एक ओर उच्च कोटि की कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति स्थापित कर हम आमजनों में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं वहीं दूसरी ओर ऐसे अनुकूल परिस्थितियों में निवेश एवं विकास को भी गति मिलती है, जो प्रदेश की सम्मृद्धि में सहायक सिद्ध होती है। हमारी यह प्राथमिकता होनी चाहिए की हमारे पास आने वाले हर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही कर आश्वस्त कर दें कि उसे न्याय अवश्य प्राप्त होगा, जिससे वह पीड़ित भी हमारी न्यायिक प्रकिया में निडरता से दोषियों के विरूद्ध अपने विधिक दायित्वों का निर्वाहन कर सके।

2. आप सभी सहमत होगें कि पुलिस विभाग पर अपराध नियन्त्रण, अन्वेषण तथा समाज में कानून एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखने का गुरूत्तर दायित्व रहता है प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा विभिन्न समुदायों के मध्य समरसता बनाये रखना पुलिस की एक अहम जिम्मेदारी होती है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना होगा। पुलिस विभाग, शासन का अत्यन्त शक्तिशाली एवं दिखायी पड़ने वाली इकाई है इसलिए पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सर्वाधिक होती है। आप भिज्ञ होगें के पुलिस की कार्यप्रणाली की जनता, मीडिया एवं अन्य सामाजिक संस्थायें निरन्तर समीक्षा करती रहती है तथा छोटी से छोटी त्रुटियों पर प्रतिकिया व्यक्त करती है। इन उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु जनता के समक्ष उपलब्धता(Accessibility),जनता में विश्वसनीयता (Credibility), जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता(Sensitivity), एवं पुलिस तन्त्र की गतिशीलता(Mobility) बनाये रखने की परग आवश्यकता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आपके मार्गदर्शन एवं कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित बिन्दु अनुपालनार्थ सुझाये जा रहे हैंः–

➢ **कानून एवं व्यवस्था**

समाज को अपराध मुक्त, भयमुक्त, अन्याय मुक्त रखना पुलिस का प्रमुख ध्येय है पुलिस को अपराध एवं कानून व्यवस्था के नियन्त्रण रखने हेतु कुख्यात अपराधियों, माफिया सरगनाओं तथा संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करना है। यह कार्यवाही हमें सुविचारित एवं सुनियोजित ढंग से सम्पन्न करना हैं जिससे सामान्य, शान्तिप्रिय व कानून का पालन करने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़े और असामाजिक, अपराधिक एवं अराजक तत्वों में कानून का भय उत्पन्न हो, इस उद्धेश्य की पूति हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जायेः–

- साम्प्रदायिक तनाव एवं साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। जिला प्रशासन एवं पुलिस संयुक्त रूप से जनपद की साम्प्रदायिक समस्याओं की समय–समय पर समीक्षा करते रहें। संवेदनशील/अतिसंवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर लिया जाये जिसमें जनसंख्या का विवरण, ऐसी कोई सम्पत्ति, धार्मिक/निजी जमीन, मकान का विवाद जो दो सम्प्रदायों के मध्य हो, जुलूस एवं जुलूसों के रास्ते जो विवादित हो अथवा विवाद होने की सम्भावना हो, विगत में हुये लड़ाई–झगड़ा, विवाद, साम्प्रदायिक इतिहास, धर्मपरिवर्तन के मामले, अर्न्तधार्मिक प्रेम प्रसंग के मामलें को चिन्हित करते हुए ऐसे मामलो व विवादों को अत्यन्त तत्परता एवं गंभीरता से से समाधान कराने का प्रयास करें।
- विवादों के आधार पर क्षेत्रों को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील के रूप में चिन्हित करते हुए विस्तृत दंगा निरोधक प्लान को बनाये एवं समय–समय पर अद्यावधिक करते रहें।

Scanned by CamScanner

- संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील थानों/चौकियों/आउटपोस्ट में मानक के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए। ऐसे स्थानों पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में दंगारोधी उपकरण यथा लाठी डंडे, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, केनशील्ड, टीयर गैस, रबर बुलेट इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये।
- असामाजिक तत्वों/साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर न केवल उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये अपितु उनके हथियार भी जमा कराये जायें। तथा ऐसे तत्वों के विरूद्ध धारा 116(3) द0प्र0सं0 में निरूद्ध करने व 110जी, गुण्डा, गैगेस्टर एक्ट व एनएसए के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये साथ ही ऐसे व्यक्ति जो किसी मामले में जमानत पर हो तो उसकी तत्काल जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही जाये।
- थाना स्तर पर साम्प्रदायिक मामलों से सम्बन्धित साम्प्रदायिक व बल्वा के सभी रजिस्टर को अद्यावधिक करा लिया जाये। साम्प्रदायिकता/जातिगत तनाव बढ़ाने वाले व्यक्तियों की सूची अद्यावधिक कर उनके विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
- सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ संदेश के वायरल होने पर साम्प्रदायिक सद्भाव प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना रहती है अतएव फेसबुक, वाट्सएप व ट्विटर इत्यादि की निगरानी कर सर्तक दृष्टि रखी जाये।
- सार्वजनिक स्थलों पर आपत्तिजनक सामाग्री एवं साहित्य वितरित किये जाते हैं, पोस्टर लगाये जाते हैं जिससे सामाजिक विद्वेष उत्पन्न होता है। समुदाय विशेष को ठेरा पहुंचती है इस प्रकार के प्रचार–प्रसार वर्जित हैं इस पर सख्ती से रोक लगाने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- गश्त को अधिक प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है विशेषकर नगर क्षेत्र में फुट पैट्रोलिंग पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करने में अहम भूमिका अदा करता है। राजपत्रित अधिकारी गश्त पार्टियों की चेंकिग करे और अलग–अलग समय में नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों, मोहल्ला सुरक्षा समितियों, प्रेस व मीडिया के सदस्यगणों से इस सम्बन्ध में नियमित रूप से फीड बैक भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

➢ **<u>अपराध नियन्त्रण</u>**

पुलिस की कार्यकुलशता सदैव आंकड़ों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है मेरा मत है कि अपराध नियन्त्रण व कानून व्यवस्था की क्षमता को आंकने के लिए आंकड़ों की जगह अपराध के अन्वेषण की सफलता को आधार माना जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:–

- आप जब जनपदों की अपराध स्थिति का मूल्यांकन करे तो शरीर एवं सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों के संदर्भ में यह अवश्य ऑकलन किया जाये कि जनपद में कितने अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी है तथा कितने मामलों में सम्पत्ति की बरामदगी हुयी है।
- अपराध व अपराधिक तत्वों से सम्बन्धित डाटा बेस को प्रत्येक दशा में तैयार करा लिया जाये, विगत समय से महसूस किया गया है कि सनसनीखेज अपराधों के घटित होने पर बड़ी संख्या में ऐसे अपराधी प्रकाश में आये है जिन्हें जनपदों द्वारा न तो चिन्हित किया गया है और न ही उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही ही की गयी है। आवश्यकता है कि कुख्यात अपराधी का चिन्हाकन सही प्रकार से हो इसी के साथ–साथ यदि इन अपराधियों से सम्बन्धित कोई गिरोह है तो उसका चिन्हाकन, पंजीकरण और उसके विरूद्ध सुनियोजित कार्यवाही एक आवश्यक कदम होगा।
- अपराधी की गिरफ्तारी के उपरान्त पुलिस अपनी कार्यवाही को पूर्ण मान लेती है। इस दृष्टिकोण से अभियोजन का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और कुख्यात अपराधी अधिकांशतः अपने विरूद्ध पंजीकृत अपराधों में बरी होने में सफल हो रहे हैं। इस मुख्यालय के द्वारा इस विषय पर आप सभी का पूर्व में परिपत्र प्रेषित कर ध्यान आकर्षित भी किया गया है परन्तु लाभप्रद प्रगति नही परिलक्षित हो रही है अतएव सफल अभियोजन हेतु विशेष ध्यान देना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि इसकी समीक्षा निरन्तर होती रहे जिससे सजायाबी का प्रतिशत बढ़े।

Scanned by CamScanner

- माफिया तत्वों की सम्पत्ति के जब्तीकरण के सम्बन्ध में कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग, प्रभावी ढंग से किया जाये। सम्पत्ति का जब्तीकरण अभिसूचना के आधार पर एवं अभिलेखों के गहन परीक्षण के पश्चात किया जाये ताकि अपराधियों को किसी भी अभिलेखीय त्रुटि का लाभ न मिल सके।
- समस्त क्षेत्राधिकारी भी जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का भ्रमण अवश्य करें। यदि आवश्यकता समझे तो ऐसे स्थानों पर गश्त आदि की व्यवस्था सुदृढ़ भी करायें।
- महिलाओं के उत्पीड़न की सूचनाओं को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए इस प्रकार की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा सक्रिय होकर वैधानिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये ताकि सामान्य घटना महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध में परिवर्तित न हो सके।
- आप अपने जनपदों की भौगौलिक परिस्थितियों का आंकलन कर लें तथा महिलाओं के विद्यालय/हॉस्टल/कोचिंग सस्थानों को जाने वाले ऐसे मार्गों को चिन्हित करें जो या तो कम भीड़ वाले अथवा निर्जन स्थान है इन स्थानों पर आवश्यकतानुसार गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- उपरोक्त के अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु समय–समय पर इस मुख्यालय से विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है उनका अक्षरशः पालन किया जाये।

➢ **विवेचना**

हत्या, बलात्कार, बच्चों के साथ घटित अपराध, डकैती, लूट आदि गम्भीर एंव संवेदनाशील अपराधों की विवेचना एवं विवेचना का पर्यवेक्षण, अभियुक्त की गिरफ्तारी, जमानत निरस्तीकरण आदि के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पूर्व में आप सभी को अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये हैं परन्तु अभी भी प्रेषित निर्देशों का यथा अपेक्षित अनुपालन नही किया जा रहा है। अतएव जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों की विवेचना अपने निकट पर्यवेक्षण में करायें जिससे पीड़ित और जनता में अपराध की विवेचना के प्रति विश्वास भाव जाग्रत हो सके। विवेचना के गुणवत्तापरक, गतिशीलता से निस्तारण कराये जाने हेतु निम्नांकित बिन्दु आपको सुझाये जा रहें है:–

- अपराध के घटना स्थल के निरीक्षण के उपरान्त तुरन्त विवेचना की रूप रेखा तैयार की जाये और उसी के अनुरूप अग्रिम विवेचना की जाये। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर रूपरेखा को संशोधित करते रहे विवेचना के उपरान्त मामले का परीक्षण सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी से कराते हुए आवश्यकतानुसार परामर्श में इंगित बिन्दुओं पर अग्रेतर विवेचना समयबद्ध ढंग से पूर्ण करायी जाये। अभियोजन इकाई से परीक्षण कराने के उपरान्त ही विचारण हेतु प्रकरण न्यायालय को प्रेषित किया जाये। विशेष अपराधों की विवेचना एवं उसके पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये।
- विवेचना में आवश्यकतानुसार आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग किया जाये बिना किसी विलम्ब के घटना स्थल का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। परिवादी एवं साक्षीगण के कथन अविलम्ब लेखबद्ध किया जाये। आवश्यकतानुसार प्रदर्शों का समयबद्ध ढंग से विधिविज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण सुनिश्चित कराया जाये।
- परिवादी उसके परिजनों तथा साक्षीगणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये यदि किसी साक्षी को किसी प्रकार की धमकी, वचन या प्रलोभन द्वारा अपराध के तथ्यों की जानकारी देने में बाधा पंहुचाने का तथ्य प्रकट हो तो उन्हें तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हुए अन्य त्वरित विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। अपराध की विवेचना के प्रति पीड़ित एवं जनता में विश्वास सुदृण करने के प्रभावी उपाय किये जाये जिससे भयमुक्त होकर परिवारी एवं साक्षी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना दिनांक 09.04.2014 में संशोधन करते हुए दिनांक 07.06.2016 द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गयी है के अनुक्रम में कार्यवाही करायी जाये ताकि पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना का लाभ मिल सके।

Scanned by CamScanner

➢ जनशिकायतों का निस्तारण

वर्तमान सरकार प्रदेश में संवेदनशील एवं पारदर्शी प्रशासन देने के लिए कृत संकल्पित है सरकार का यह दृढ निश्चय है कि जनसमस्याओं का उसी स्तर पर निस्तारण होना चाहिए जिस स्तर पर निस्तारण अपेक्षित है अर्थात जिन समस्याओं का निस्तारण थाना/जनपद स्तर पर होना है उनका निराकरण थाना एवं जनपद स्तर पर ही होना चाहिए। जनता के पीड़ित व्यक्तियों की समस्यायें बहुधा सामान्य प्रकृति की होती हैं जैसे कि दबंग व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों पर जबरन कब्जा कर लेने, भू–माफियाओं द्वारा सार्वजनिक भूमि/तालाब आदि पर कब्जा कर लेना गम्भीर अपराधिक घटना की प्र0सू0रि0 दर्ज न किया जाना, दर्ज अभियोग की विवेचना में अत्यधिक समय लिया जाना एवं पुलिस दुर्व्यवहार से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण सहजता से स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। जनशिकायतों के निस्तारण से सम्बन्धित बिन्दु अनुपालनार्थ निम्नवत हैः–

- जनशिकायतों के किसी भी स्तर पर लम्बित समस्त सदंर्भों को अभियान चलाकर निस्तारण करें।
- जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जनशिकायतों की समीक्षा साप्ताहिक की जाये।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा भी निस्तारण की साप्ताहिक समीक्षा की जाये।
- थाना दिवसों पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से किया जाना चाहिए। यदि भूमि सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं तो इस प्रकार की शिकायतों को राजस्व विभाग के समन्वय से निस्तारित कराया जाये।

➢ यातायात प्रबन्धन

सुचारू ट्राफिक व्यवस्था कानून एवं शान्ति व्यवस्था का ही एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है। निर्बाध एवं दुर्घटना रहित यातायात व्यवस्था बनाये रखना पुलिस के मुख्य कर्तव्यों में से एक है क्योंकि ट्राफिक व्यवस्था से सभी नागरिक प्रभावित होते हैं यह कर्तव्य सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का है न कि केवल ट्राफिक पुलिस का है। ट्राफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नांकित कार्यवाही किया जाना समीचीन हैः–

- सार्वजनिक रास्तों को बाधारहित रखने व उनके अवरोध हटवाने के लिए प्रभावित स्थलों को चिन्हित किया जाना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही की चेतावनी देते हुए सम्बन्धित को अवरोधों को हटाने के लिए कहना चाहिए। निर्देशों का पालन न होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाये।
- वाहनों की पार्किंग तथा सार्वजनिक मार्गो के किनारे सामान की लोडिग/अनलोडिग के लिए समय व स्थान का हल्कावार निर्धारण किया जाये तथा इस हेतु यथासम्भव प्रभावित नागरिकों से परामर्श लिये जाये।
- दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तेज गति, लापरवाही या नशे में ड्राइविंग पर विशेष नियन्त्रण आवश्यक है। नागरिकों को ऐसे वाहनों की सूचना पुलिस को देने व यदि सम्भव हो तो उनकी वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस हेतु इन्टरनेट का प्रयोग अत्यन्त उपयोगी हो सकता है।
- ट्राफिक नियमों के उल्लंघन के दोषी पाये गये व्यक्तियों व वाहनों का डाटाबेस ऐसा हो कि वाहन व चालक के पूर्व ट्राफिक अपराधों व उनकी स्थिति का पता चल सके और तद्नुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जा सके।
- उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ आप सभी को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है उनका अनुपालन अवश्य किया/कराया जाये।

➢ पुलिस कर्मियों का जनसामान्य के साथ मर्यादित व्यवहार

नागरिको के बीच पुलिस की स्वच्छ छवि एवं विश्वसनीयता पर हमारी पूरी कार्यप्रणाली आधारित है पुलिस स्टेशन हमारी इस पुलिस व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है यह जगह ऐसी होनी चाहिए जहॉ जाने में कोई व्यक्ति संकोच न करें तथा यहॉ आने पर उसे सुरक्षा का बोध हो। हमे अपने आप से एक प्रश्न करना होगा कि क्या हम मुसीबत में फंसे अपने माता–पिता, भाई–बहन एवं अन्य परिजनों को बिना किसी संदर्भ के पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दे सकते हैं? जब इसका जवाब "हॉ" में होगा तभी हम

Scanned by CamScanner

मानेंगें कि हमारे पुलिस स्टेशन जनता को सुरक्षा एवं मदद देने की स्थिति में हैं। जनसामान्य के साथ पुलिस आचरण कैसा हो सम्बन्धी कुछ बिन्दु आपके अनुपालनार्थ प्रस्तुत हैंः–

- जब तक हमारे थानों की कार्यशैली में सुधार नही होगा तब तक हम आदर्श पुलिसिंग को यथार्थ के धरातल पर नही उतार सकते हमे सबसे पहले थानों पर आने वाले आम आदमी के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता एवं मर्यादित आचरण प्रदर्शित किये बिना किसी भी प्रकार की सार्थक पुलिसिंग सम्भव नहीं है।
- थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर आने वाले हर जरूरतमंद व्यक्ति के दुख दर्द एवं पीड़ा को धैर्य एवं सहानुभूतिपूर्वक सुनना एवं पीड़ा के निवारणार्थ प्रयास करना प्रथम कर्तव्य है और यहीं से पुलिस की विश्वसनीयता की शुरूआत होती है।
- जनपद में नियुक्त राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों का जनता के साथ मर्यादित आचरण किये जाने विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करायी जाये। प्रथम चरण में पुलिस उपाधीक्षक/निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाये। द्वितीय चरण में मुख्य आरक्षी/आरक्षी पद के कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराया जाये।
- पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु स्थानीय विषय विशेषज्ञों की सेवाये प्राप्त की जाये उनसे जनता के साथ पुलिस द्वारा सद्व्यवहार सम्बन्धी विषयों पर व्याख्यान का प्रबन्ध कराया जाये।
- पुलिस जनों का व्यवहार सभी के प्रति मधुर व सम्मानजनक होना चाहिए। आप जानतें है कि पुलिस दुर्व्यव्हार की शिकायतें न केवल हमारी छवि के लिए घातक है वरन इससे हमारी तमाम उपलब्धियॉ भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। सख्ती का यह अभिप्राय कदापि नही है कि हम दुर्व्यवहार करें।

➢ **<u>सोशल मीडिया</u>**

उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी चाहे वह डियूटी पर हो अथवा नही परन्तु वह उ0प्र0 पुलिस का प्रतिनिधि होता है। व्यक्तिगत जीवन में अथवा सोशल मीडिया पर उसकी व्यक्गित गतिविधियॉ विभाग की प्रतिष्ठा से सीधे जुड़ी होती है। सोशल मीडिया पर डाली गयी हर सामाग्री पब्लिक प्लेटफार्म पर सबके लिए सुलभता से उपलब्ध है इस लिए विभाग गरिमा के दृष्टिकोण से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऐसी कोई जानकारी साझा नही की जायेगी जो उन्हें अपनी विभागीय नियुक्ति के कारण प्राप्त हो। जबतक उनके पास इस हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति न प्राप्त हो। सोशल मीडिया के उपयोग के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिये गये हैं।

➢ **<u>अनुशासन एवं वर्दी</u>**

हम सब वर्दी धारक हैं हमारा प्रथम कर्तव्य कानून का पालन कराना और साथ ही साथ खुद कानून का पालन करना है। जनता के मध्य कर्तव्य पालन के समय एवं व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे व्यवहार में शालीनता एवं व्यवसायिकता नजर आनी चाहिए। वर्दी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है इसे धारण करते समय हमारे मन में गर्व की भावना होनी चाहिए और तभी हम वर्दी की रक्षा के लिए सच्चे अर्थो में उन्मुख हो सकेगें अतः डियूटी के समय साफ–सुथरी एवं अच्छी वर्दी धारण करें।

➢ **<u>भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस</u>**

पुलिस कर्मियों का सामान्य जनता से सरकारी कार्यो के सम्बन्ध में सीधा सम्पर्क रहता है उनमें यदि भ्रष्टाचार व्याप्त हो तो उससे नागरिकों का उत्पीड़न होता है और जनता में शासन/विभाग की छवि धूमिल होती है पुलिस कर्मियों में यह भ्रष्टचार सामान्य रूप से विभिन्न राजमार्गो में अस्थायी बैरियर लगाकर चेकिंग के नाम से मोटरवाहन चालकों से अवैध वसूली, ट्राफिक नियमों के उल्लंघन के नाम से अवैध वसूली, थानों पर प्र0सू0रि0 दर्ज कराने तथा विवेचना में पक्षपात करने के लिए दलालों के माध्यम से उत्कोच प्राप्त करना, चरित्र सत्यापन के लिए रिश्वत लेना, हरे वृक्षों का अवैध कटान कराना, अवैध रूप से जगीन पर कब्जा दिलवाना या सम्पत्ति से बेदखल करना, संगठित अपराध में लिप्त व्यक्ति से सांठ–गांठ कर अपराध की कमाई में हिस्सा लेना आदि दृष्टिगत होते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टचार को समाप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता देने से जनता में एक अच्छा संदेश जायेगा। यद्यपि यह सच है कि उपरोक्त प्रकार के भ्रष्टाचारों में लिप्त पुलिस कर्मी मुठ्ठी भर ही है लेकिन उनके कारण न केवल पुलिस विभाग की छवि धूमिल होती है बल्कि पूरी शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता कम हो जाती है इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण को हतोत्साहित करने तथा सम्बन्धित पुलिस कर्मियों का पता लगाकर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाये।

Scanned by CamScanner

➢ **वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा**

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा करना पुलिस का अत्यन्त महत्वपूर्ण दायित्व है बहुधा वरिष्ठ नागरिक अपराधियों के निशाने पर होते है एवं कई बार इनके सगे सम्बन्धी भी इनके धन/सम्पत्ति के लालच में इनके जीवन एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु "The Uttar Pradesh Maintenance and Welfare of parents and senior citizens Rules 2014" प्रचलित किया गया है। इस नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुपालन हेतु समय समय पर शासनादेशों/परिपत्रों द्वारा आप सभी को अनुपालनार्थ दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसका गम्भीरता से पालन कराया जाये।

➢ **पुलिस कल्याण**

पुलिस एक अनुशासित बल है तथा इनकी कार्यप्रणाली अन्य विभागों से भिन्न है। एक अनुशासित बल होने के कारण अनुशासन बनाये रखने हेतु पुलिस विभाग में सेवा सम्बन्धी नियम सख्त होने से अधीनस्थ कर्मियों के प्रति अन्य विभागों की अपेक्षा दण्डात्मक कार्यवाही अधिक होती है। पुलिस कर्मियों का मनोबल उॅचा बनाये रखने हेतु पुलिस कर्मियों की समस्यायें यथा जी0पी0एफ0, पेंशन, टीए/डीए, वेतन विसंगतियॉ, अवकाश, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की समस्या जब भी अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हो तो उसका निष्पक्षता से शीघ्रतापूर्वक समाधान अवश्य किया जाये।

➢ **मीडिया प्रबन्धन**

प्रायः देखा गया है कि जनपदों में पुलिस अधिकारी मीडिया को ब्रीफिंग करते समय अपराधिक घटना का अनावरण करने पर अपने सार्वजनिक वक्तव्य में पुलिस की विवेचना युक्ति, पुलिस प्रक्रिया, अपराधिक अन्वेषण की तकनीकें या वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से सम्बन्धित जानकारी साझा करते हैं जिससे गोपनीयता भंग होती है एवं अपराधियों को पुलिस की योजना व कार्यप्रणाली की जानकारी हो जाती है अतएव मीडिया को ब्रीफिंग करते समय अपराधिक घटनाओं में पुलिसिंग के तौर–तरीकों, युक्ति, सर्विलांस/तकनीकी साधनों को सार्वजनिक नही किया जाना चाहिए।

अपेक्षा है कि आप मेरी इन भावनाओं से अपने अधीनस्थों को अवगत कराये और स्वयं व उनके माध्यम से इन निर्देशों का धरातल पर शुद्ध अन्तःकरण से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। जिससे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अच्छी छवि जनता के समक्ष निरूपित कर सके। इन निर्देशों के बाद भी ऐसा दृष्टांत पाये जाने पर दोषी कर्मी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अवश्य की जाये। प्रदेश पुलिस की छवि को प्रभावित करने वाले इस विषय के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरते जाने की नितांन्त आवश्यकता है।

मै पूर्णतः आशान्वित हूॅ कि आप अपने इस दायित्व के निर्वाहन में कोई कमी नही रखेगें।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/ डायल–112/रेलवे/प्रशिक्षण उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner